<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी. / एस.टी.एक्ट फैजाबाद/अयोध्या।</u>

उपस्थितः-शिवानी जायसवाल, एच.जे.एस.

J.O.CODE- UP 5993

1) जमानत प्रार्थना पत्र (**Computer Registration No**.-2003/2024)

CNR No. UPFZ01-005445-2024

व

2) धनराशि निर्धारण प्रार्थना पत्र (क्रि०मि०संख्या-69/2024)

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन सं०-1277/2024

महन्थ कृष्ण कुमार दास उर्फ हनुमान दास चेला स्व० अयोध्या दास,निवासी सिया बल्लभ भवन, नयाघाट अयोध्या, थाना कोतवाली अयोध्या जिला अयोध्या।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0राज्य। .....विपक्षी।

मु०अं०संख्या-281/2022
धारा- 506 भा०दं०सं०
थाना-कोतवाली अयोध्या
जिला-अयोध्या/फैजाबाद।

<u>जमानत आदेश</u>

(1) आवेदक/अभियुक्त **महन्थ कृष्ण कुमार दास उर्फ हनुमान दास** द्वारा मु०अं०संख्या–281/22 थाना–कोतवाली अयोध्या, जनपद–फैजाबाद/अयोध्या के प्रकरण में धारा 506 भा०दं०सं० के संबंध में, जमानत आवेदन–पत्र 2003/24 व जमानत धनराशि निर्धारण हेतु मा० उच्च न्यायालय के आदेश के साथ एक प्रार्थना पत्र आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या 69/24 प्रस्तुत किया गया है।

(2) जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 376, 384, 504 भा०दं०सं० व 3(2)V एस.सी.एस.टी एक्ट में पंजीकृत की गई थी और इन्हीं धाराओं में आवेदक को गिरफ्तार किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ से जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1582/2024 पर उक्त धाराओं में आवेदक की जमानत दिनांक 09.09.2024 को स्वीकार की जा चुकी है। आरोप पत्र पर अन्तर्गत धारा 506 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी आरोप पत्र में कर दी गयी। चूंकि माननीय उच्च न्यायलय से अभियुक्त की जमानत अन्य धाराओं में स्वीकार हो चुकी है इसलिए 506 भा०दं०सं० में भी आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाए। प्रार्थना पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय के जमानत आदेश की प्रतिलिपि संलग्न की गई है।

(3) आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। आवेदक की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के उक्त जमानत आदेश के आधार पर जमानत धनराशि निस्तारण करने के लिए भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या 69/2024 पर पंजीकृत है और आज ही नियत है। चूंकि मुख्य धाराओं मे माननीय उच्च न्यायालय से आवेदक की जमानत स्वीकार हो चुकी है। इसलिए धारा 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आवेदक की जमानत स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

(4) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र महन्थ कृष्ण कुमार दास उर्फ हनुमास दास की ओर से द्वारा अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CRIMINAL APPEAL No–1582/2024 में पारित आदेश दिनांकित–09.09.2024 के निर्देशों के अधीन जमानत की धनराशि निर्धारित करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी महन्थ कृष्ण कुमार दास उर्फ हनुमास दास द्वारा मु०अं०संख्या–281/2022 अन्तर्गत धारा–376, 384, 504 IPC व धारा 3(2)V

एस.सी.एस.टी एक्ट, थाना–को०अयोध्या, जिला–अयोध्या/फैजाबाद के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन जमानत की धनराशि निर्धारित करने की प्रार्थना की गयी है तथा यह कथन किया गया है कि उपरोक्त मुकदमें में उनकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में सूर्य प्रकाश तिवारी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.09.2024 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया। उक्त आदेश का सत्यापन कम्प्यूटर अनुभाग से कराया गया ।

प्रार्थना पत्र व प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में प्रस्तुत CRIMINAL APPEAL No– 1582/2024 में पारित आदेश दिनांकित–09.09.2024 के सम्मान पूर्वक अवलोकन से यह स्थापित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त महन्थ कृष्ण कुमार दास उर्फ हनुमास दास मु०अं०संख्या–281/2022 अन्तर्गत धारा–376, 384, 504 IPC व धारा 3(2)V एस.सी.एस.टी एक्ट, थाना–को०अयोध्या, जिला–अयोध्या/फैजाबाद के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों पर जमानत स्वीकृत करते हुए इस न्यायालय को व्यक्तिगत बंध पत्र एवं जमानत की धनराशि निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में प्रार्थी/अभियुक्त महन्थ कृष्ण कुमार दास उर्फ हनुमान दास की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

आवेदक का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Cr. APPEAL NO– 1582/2024 पारित जमानत आदेश में अधिरोपित शर्तों के बाबत आवेदक द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने तथा 100000/–रू० का व्यक्तिगत बन्ध पत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर आवेदक को मु०अं०संख्या–281/2022 के प्रकरण में धारा 376, 384, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(2)V एस.सी.एस.टी एक्ट के अन्तर्गत जमानत पर अवमुक्त किया जाए। दोनों प्रार्थना पत्र तद्नुसार निस्तारित किए गये।

(शिवानी जायसवाल)
J.O Code–UP 5993
विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी ऐक्ट,
अयोध्या/फैजाबाद।

दिनांकः–13.09.2024